

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

Email:- dm-pra-rj@nic.in

Ph- 01478-223366

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./अतिवृष्टि/2021-22/स्वीकृति/2022/2856-61

दिनांक: 07/12/2022

-: स्वीकृति आदेश :-

कार्यालय तहसीलदार धरियावद के द्वारा उनके उपखण्ड/तहसील क्षेत्र के प.म. चित्तोड़ीया ग्राम आम्बा-ए में अतिवृष्टि से पक्का मकान गम्भीर क्षति पर पीड़ित को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंसा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाया गया है ।

अतः उपखण्ड अधिकारी धरियावद एवं तहसीलदार धरियावद की अनुशंसा के आधार पर एवं भारत सरकार के संशोधित आदेश No. 32-7/2014- NDM-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 01 (01) (D) में वर्णित प्रावधानानुरूप व कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार पीड़ित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर अतिवृष्टि से पक्का मकान गम्भीर क्षति होने से हुई क्षतिपूर्ति हेतु एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

क्र.स.	पीड़ित का नाम व पता	दुर्घटना तिथि एवं विवरण	स्वीकृत राशि
01.	श्री देवीलाल पिता धनीया निवासी आम्बा-ए प.म. चित्तोड़ीया तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़	दिनांक 31.08.2022 को अतिवृष्टि से पक्का मकान गम्भीर क्षतिग्रस्त होने पर।	95100/-रु.
कुल योग			95100/-रु.

(अक्षरे पिचानवे हजार एक सो रुपये मात्र)

नोट:-

- राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा :
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02- बाढ़/चक्रावात, 113-घर की मरम्मत, पुनःनिर्माण हेतु सहायता (09)-बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनः निर्माण के लिए सहायता, 04- गम्भीर क्षतिग्रस्त पक्का घर, 12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)
- राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-2 पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे।



(डॉ. इन्द्रजीत यादव)

जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./अतिवृष्टि/2021-22/स्वीकृति/2022/2856-61

दिनांक: 07/12/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी धरियावद।
- तहसीलदार, धरियावद।
- लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कार्यवाहक अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़